>

Title: Regarding illegal construction of gates by the Maharashtra Government on Babhali project on River Godavari.

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लाल सिंह जी, आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। आज जो भी हाउस में प्रणब दा जो सबसे सीनियर लीडर हैं, के साथ जो हुआ है, हमें उसके लिए खेद है। ...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): माफी मांगिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, दो राज्यों के बीच वाटर डिस्पयूट का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। गोदावरी के ऊपर बाभली, बाभली के साथ 13 इल्लीगल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है और हम इसके बारे में छः साल से हर जगह जाकर बात की है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट का जवाहर लाल नेहरू जी ने 1965 में फाउंडेशन स्टोन रखा था। यह 30 साल बाद पूरा हुआ और यह इश्यू 18,00,000 एकड़ का है। तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश का पिछड़ा एरिया है, के लिए इस प्रोजेक्ट में 18,00,000 एकड़ जमीन की इरीगेशन की फेसिलिटी थी जिसे ग्रेविटी के साथ इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में रिजर्वायर के अंदर बाभली प्रोजेक्ट बनाया गया। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसमें एक प्रोजेक्ट के रिजर्वायर के अंदर दूसरा प्रोजेक्ट बना हो। इस प्रोजेक्ट को बनाते समय आंध्र प्रदेश ने रिजर्वायर में जो लैंड आई, 6.01 करोड़ का कम्पेनसेशन महाराष्ट्र सरकार को दिया। इस सब के बावजूद इल्लीगल प्रोजेक्ट बनाया गया। हम वर्ष 2005 से इस प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहे हैं और इसे रोकने के लिए कहा है। पहली बार हमने बात की और इसे सीडब्ल्यूसी के नोटिस में लाया गया। इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन 11.07.2005 में हुई थी, तब हम इसे सीडब्ल्यूसी के नोटिस में लाए थे कि इल्लीगल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो रही है, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के अंदर रिजर्वायर के अंदर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। 2004 को सीडब्ल्यूसी के नोटिस में लाने के बाद चेयरमैन ने 3.03.2006 में एक लैटर लिखा था और मैं इस लैटर के आखिरी भाग को पढ़ना चाहता हूं -

> "Further construction of the Babhli Project will be kept on hold till an amicable agreement is reached in this regard between the two Governments."

यह लैटर जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट्स को नहीं रोका। इसके बाद दो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग 12.04.2006 में हुई। विलास राव देशमुख जी और राजशेखर रेड्डी जी की मीटिंग हुई और सौदा हुआ। मैं आपके नोटिस में इस मीटिंग का कन्कलूडिंग प्वाइंट लाना चाहता हूं -

> "A Technical Committee headed by the Chairman or a Senior Officer of the Central Water Commission and consisting of representatives of the States shall go into the details of various issues involved in the Babhli Barrage Project. The Technical Committee shall submit a report as early as possible but not later than 20th May, 2006. Till the Technical Committee submits the report, the *status quo* in respect of activities in the Babhli Barrage Project shall be maintained and further construction work will not be done by the Government of Maharashtra."

यह दो चीफ मिनिस्टर्स का एग्रीमैन्ट है। दो चीफ मिनिस्टर्स का एग्रीमैन्ट होने के बाद भी इस प्रोजैक्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके बारे में यहां का एक बहुत महत्वपूर्ण लैटर है, जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने 12 अप्रैल, 2007 में लिखा था। तब प्रो.सैफुद्दीन सोज साहब मंत्री थे। उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है -

> "My Dear Shri Vilas Rao Deshmukh Ji,
>
> It has been brought to our notice that Maharashtra Government has gone ahead with the construction of Babhli Barrage Project. This has caused great anxiety to the people of Andhra Pradesh.
>
> You will recall that in the meeting held on April 4, 2006, when you and Shri Rajashekhar Reddy, Chief Minister of Andhra Pradesh were present, it had been agreed that no construction work would take place till the dispute was settled. It was also agreed that a Technical Committee headed by Chairman, Central Water Commission and representatives of both the concerned States shall go into details of various issues involved in

Babhli Projectâ€¦

Recently, a delegation led by Chief Minister of Andhra Pradesh met hon. Prime Minister on the above issue and requested him to take necessary action to stop the construction activities at the project site. On the direction of the Prime Minister, a team of officers from CWC visited the project side during April, 2007 and submitted a report to the Ministry on 11.04.2007. As per the report, the construction activity is continuing at the project site."

प्रधान मंत्री के नोटिस में गया और प्रधान मंत्री जी के नोटिस में जाने के बाद मुख्य मंत्रियों के एग्री करने के बाद, सीडब्ल्यूसी टैक्निकल कमेटी के एग्री करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजैक्ट को बनाया।

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO : Madam, this is a very important letter.

"The Members of Parliament from Congress and Telugu Desam Party also met me on 11.04.2007 and requested to take necessary action for stopping the construction work. They expressed their anguish that the construction has continued in spite of the fact that the matter is pending before the hon. Supreme Courtâ€¦

I would like to request you either to sort out the matter directly with the Government of Andhra Pradesh or else wait for the decision on the same issue by the Supreme Court. It is, therefore, obvious that construction work will remain suspended in the mean time."

यह बात बोलने के बाद ये लोग पूरी प्रोजैक्ट को 2005 में जब फाउंडेशन स्टोन ले किया था, तभी हम इसे सीडब्ल्यूसी के नोटिस में लाये थे। प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाये हैं। इन सबके नोटिस में लाने के बाद भी इन लोगों ने इस प्रोजैक्ट को कम्पलीट किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया कंक्लूड कीजिए। आपने अपना प्वाइंट रेज कर दिया है।

श्री नामा नागेश्वर राव : मैडम, आप मुझे दो मिनट बोलने दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है।

MADAM SPEAKER: Please conclude now. You have made your point.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO : This is very important.

MADAM SPEAKER: Now, the Government will respond. You have made your point. फिर आप बहुत लम्बा बोलेंगे।

श्री नामा नागेश्वर राव : इस पर भी बोला है "It shall not install the proposed 13 gates until further orders."

यह सब होने के बाद भी अभी गेट्स को लगा दिया है। इतना सब होने के बाद अब हमें प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमैन्ट चाहिए। यह दो स्टेट्स का डिस्प्यूट है। डाउन स्ट्रीम स्टेट के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इसके लिए फैडरल गवर्नमैन्ट सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का इनवोल्वमैन्ट चाहिए। प्रीवियसली श्री पी.वी.नरसिंहराव जी जब कर्नाटक और तमिलनाडु के डिस्प्यूट में इनवोल्व हुए थे। इसके बाद वाजपेयी जी भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में इनवोल्व हुए थे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : आप मुझे एक मिनट और बोलने के लिए क्यों नहीं दे रही हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Do not get emotional. You may speak.

श्री नामा नागेश्वर राव : इसके प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है बोलकर हमारे लीडर श्री चंद्रबाबू नायडू जी और हम सब लोग प्रोजैक्ट को देखने के लिए चले गये। लेकिन महाराष्ट्र में हम लोगों को ज्यूडिशियल कस्टडी में रखा गया है, लाठीचार्ज किया गया। हम लोगों के साथ 66 रिप्रजेन्टेटिव्ज को ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): यह गलत है।...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि इस मामले पर हमें प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमैन्ट चाहिए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Thank you so much. Please take your seat. You have made your point.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All this will not go on record.

*(Interruptions) â€¦**

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, श्री नागेश्वरा राव ने खुद कहा है कि महाराष्ट्र और आध्र प्रदेश के बीच में यह मसला बना हुआ है। आध्र प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है और मामला उनके समक्ष है। उस मामले में कुछ आंतरिम आदेश हुआ है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने दो दिन पहले 2 अगस्त को महाराष्ट्र और आध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। उस समय मैं भी उनके साथ बैठक में था। उस समय विस्तारपूर्वक बात हुई थी और यह बात उनके सामने रखी थी। यह बताया था कि वर्ष 2006 में यह केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था जिसके लिये अंतरिम आदेश हुआ है। माननीय सदस्य का कहना है कि उस आदेश की पालना नहीं हुई है जबकि फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है कि दोनों प्रदेश इस आदेश की पालना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से मुझे हिदायत हुई है कि केन्द्रीय जल आयोग निरंतर उसकी समीक्षा करता रहेगा। इसके अलावा यह बात भी हुई है कि उसकी इंस्पैक्शन के बाद उसका एनालैसिस किया जाये और उसके कम्पलायंस के लिए केन्द्रीय जल आयोग रिपोर्ट बनाता रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं चूंकि मसला इस समय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और पूरा सदन जानता है कि जब कोई मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने होता है। The Supreme Court is seized of the matter. Even a contempt petition has been filed in the Supreme Court which is pending in the Supreme Court. Therefore, I would earnestly request all of you that there are other fora available for the point that we have raised here. Every hon. Member knows as to what is the role and what could possibly the role of the Government of India in the matter which involves disputes between the two States. I think, we should stop the matter here. There is the other matter relating to the reply of the hon. Finance Minister on yesterday's debate on price rise. I suppose, we should begin on that....(*Interruptions*)